दिल्ली विकास प्राधिकरण
प्रिंटिग प्रेस, विकास सदन, आई.एन.ए.
नई दिल्ली-110023

संख्या.एफ(5)2018/पीपी/ 20 अगस्त , 2019

<u>निविदा सूचना</u>

विषय: <u>प्रिंटिग प्रेस, दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास सदन, आई.एन.ए., नई दिल्ली-110023 की विभिन्न प्रकार की चालू अप्रचलित/उपयोगी/अनुपयोगी/प्रिंटिंग मशीनरी संबंधित उपकरणों के निपटान हेतु मोहरबंद निविदा का आमंत्रण।</u>

प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक, दि.वि.प्रा. प्रिंटिग प्रेस कृते एवं दिल्ली विकास प्राधिकरण की ओर से विभिन्न प्रकार के 'अप्रचलित'/'अनुपयोगी'/'उपयोगी'/'चालू' प्रिंटिग मशीनरी और संबंधित उपकरणों की बिक्री/निपटान हेतु मोहरबंद निविदाएँ आमंत्रित करता है। जैसा नीचे विस्तृत रूप में दिया गया है।

क्र.सं.	बिक्री/निपटन हेतु स्टोर का संक्षिप्त विवरण	निपटान का आधार	मुहरबंद निविदाओं को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	निविदा खुलने की तिथि और समय
1.	निविदा के **अनुलग्नक-III** में दी गई सूची के अनुसार	**'तोल' जैसा है जहाँ है' के आधार पर**	11 सितंबर 2019 से दोपहर 3.00 बजे	12 सितंबर 2019 दोपहर 03.30 बजे

2.निविदा दस्तावेज दिल्ली विकास प्राधिकरण को प्रस्तुत करने के लिए सी.पी.पी. पोर्टल URL://eprocure.gov.in और दि.वि.प्रा. की वेबसाइट www.dda.org.in से भी डाउनलोड किये जा सकते हैं।

3. इच्छुक फर्म/व्यक्तियों को पात्रता मानदंड आदि के समर्थन में आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रपत्र में मुहरबंद निविदाएँ प्रस्तुत करनी होगी। मुहरबंद निविदाएं प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक प्रिंटिग प्रेस कार्यालय, दिल्ली विकास प्राधिकरण, आई.एन.ए. दिल्ली-110023 में रखे निविदा बॉक्स में प्रस्तुत की जाएगी।

4. इच्छुक फर्म/व्यक्ति शनिवार, रविवार और अवकाश दिवसों के अतिरिक्त किसी भी कार्य दिवस पर 21.08.2019 से 09.09.2019 तक प्रात: 11.00 बजे से सांय 05.00 बजे के बीच प्रबंधक, प्रिटिग प्रेस, दिल्ली विकास प्राधिकरण को उनके मोबाइल पर से संपर्क करके इन मशीनों और उपकरणों का निरीक्षण कर सकते हैं।

(प्रभारी-अधिकारी)

प्रेस प्रबंधक,

प्रिंटिग प्रेस, दि.वि.प्रा.

अनुलग्नक-I

कार्य क्षेत्र, पात्रता मापदंड एवं अन्य नियम व शर्तें

1. कार्य-क्षेत्र

अनुलग्नक-III के अनुसार प्रिंटिग प्रेस परिसर दि.वि.प्रा., विकास सदन, आई.एन.ए., नई दिल्ली -110023 में विभिन्न प्रकार के 'अप्रचलित' उपयोगी/ 'चालू' और अनुपयोगी प्रिंटिग मशीनरी और संबधित उपकरण का 'तोल और जहाँ है जैसा है' आधार पर निपटान।

2. 'पात्रता मापदंड'

i. इच्छुक निविदाताओं के पास प्रिंटिग प्रेस/मशीनरी उठाने और उनका निपटान करने/मेटलस्क्रेप/आयरन स्क्रेप/प्लांट और समान कार्य के क्षेत्र में कम से कम 3 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। जिसके संबंध में दस्तावेज होने चाहिए।

ii. पिछले तीन क्रमागत वर्षों के लिए फर्म का टर्न ओवर 10,00,000/-(दस लाख) रूपये सालाना से कम नहीं होना चाहिए।

3. निविदा दस्तावेजों के साथ निम्नलिखित दस्तावेज जमा करवाने आवश्यक है।

क. पिछले तीन वर्षो के आयकर रिटर्न/बैलेंस शीट/ लाभ और हानि खाते/ आय और व्यय विवरण की प्रतिलिपि जो, चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित होनी चाहिए।

ख. फर्म को स्व–प्रमाणित वचनबंध देना होगा जिसमें यह लिखा हो कि किसी भी सरकारी, संगठन , उपक्रम आदि द्वारा कभी भी फर्म को ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया हो और फर्म के विरूध किसी भी प्रकार के नियमों/कानून के उल्लंघन के लिए पुलिस/ आपराधिक मामलों को दर्ज नहीं किया गया हो।(किसी भी सरकारी विभाग द्वारा ब्लैकलिस्टेड की गई फर्म को निविदा प्रक्रिया में नहीं माना जाएगा)।

ग. स्वत्वधारी/स्वामी/फर्म/कम्पनी के नाम पर पेन या जी.एस.टी संख्या, जो प्रोप्राइटर/स्वामी/फर्म/कंपनी के नाम पर होगा की स्व/अनुप्रमाणित प्रति।

4. प्रिंटिग प्रेस परिसर, विकास सदन में रखी गई मशीनों और उपकरणों का निरीक्षण :

क. इच्छुक निविदादाता निविदा जमा करवाने से पहले प्रेस प्रबंधक कार्यालय, प्रिंटिग प्रेस, विकास सदन में दिनांक 21.08.2019 से 09.09.2019 तक प्रात: 10:00 बजे से सांय 04:00 बजे के बीच (शनिवार,रविवार और राजपत्रित अवकाश के छोडकर) मशीनों और उपकरणों का निरीक्षण कर सकते हैं।

ख. निविदादाताओं को मशीन और संबंधित उपकरणों के साथ-साथ उनके भार के संबंध में अपना मूल्यांकन करने की सलाह दी जाती है और दिया गया भार सूचक, वास्तविक नहीं

है। यदि भार में कोई अंतर है तो उसके संबंध में किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

ग. सामग्री की प्रकृति, विशेषताओं, स्थिति और गुणवत्ता एवं व्यावहारिक परिस्थितियों के संबंध में निविदादाता को अपने आप पूर्णतया संतुष्ट करना चाहिए। दि.वि.प्रा. प्रिंटिग प्रेस सामग्री अथवा इसकी गुणवत्ता और किसी विशिष्ट उददेश्य अथवा उपयोग के लिए इसकी उपयुक्ता की कोई गारंटी अथवा वारंटी नहीं देता है। इसे स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि दि.वि.प्रा. द्वारा उपयोग हेतु गुणवत्ता, विशिष्टता, स्थिति/उपयुक्तता के संबंध में किसी भी दावे/शिकायतों पर विचार नहीं किया जाएगा।

5. जमा बयाना राशि :

निविदादाता को निम्नानुसार बयाना राशि (ई.एम.डी.) को जमा करने की आवश्यकता है।

क) लॉट सं. I एवं लॉट सं. II की मशीनों हेतु 10,000/- रु ।

ख) लॉट सं. III की मशीनों हेतु 50,000/- रु ।

जमा बयाना राशि (ई.एम.डी.) को दि.वि.प्रा. के इलेक्ट्रिक मोड अर्थात लेखा अधिकारी (रोकड़) मुख्य, खाता सं. 37443686706, भारतीय स्टेट बैंक, विकास सदन शाखा, नई दिल्ली-110023, आई.एफ.एस.सी.-एसबीआईएन0008005 के माध्यम से जमा कराना होगा। ई.एम.डी. (यू.टी.आर.सं. आदि) के जमा कराने के प्रमाण तकनीकी बोली के साथ अपलोड किए जाने चाहिए।

6. निविदाएं प्रस्तुत करना/खोलना :

क) निविदादाता केवल दो बोली प्रणाली अर्थात 'तकनीकी' और 'वित्तीय' बोली में सी.पी. पोर्टल के माध्यम से निविदाएं प्रस्तुत करें। तकनीकी बोली में 'पैन', 'जी.एस.टी.' पंजीकरण की स्कैण्ड प्रति और कम्पनी के लेटरहैड पर एक प्रमाणपत्र होना चाहिए जिस पर लिखा हो कि यह कम्पनी किसी सरकार/सरकारी एजेंसी द्वारा ब्लैक लिस्टिड नहीं की गई है। तकनीकी बोली प्रभारी अधिकारी/प्रेस प्रबंधक, दि.वि.प्रा. प्रिटिंग प्रेस, प्रेस बिल्डिंग, दि.वि.प्रा. के कार्यालय में समिति द्वारा दिनांक 12.09.2019 को अपराह्न 3:30 बजे खोली जाएंगी। केवल तकनीकी अर्हता प्राप्त निविदादाताओं की 'वित्तीय बोली' ही खोली जाएगी।

ख) निविदादाताओं को सलाह दी जाती है कि वे प्रेस में पड़ी मशीनों/उपकरणों के वास्तविक निरीक्षण के अनुसार अपनी दरें उद्धृत करें। एच-1 (उच्चतम) निविदा का निर्धारण बाकी बची मशीनों के लिए पृथक रूप से प्रत्येक मशीन के लिए पेश की गई उच्चतम कीमत जैसे निविदा सूचना के **अनुलग्नक-IV** में दिया गया है के अनुसार (i) लॉट संख्या -1 (ii) लॉट संख्या 2 और (iii) लॉट संख्या 3 के लिए कुछ उद्धृत दरों के आधार पर किया जाएगा।

ग) <u>अन्य निबंधन एवं शर्तें:</u>

क. निर्धारित प्रारूप में न होने अथवा बयाना जमा राशि के बिना जमा की गई निविदा को सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा।

ख. सामग्री **''वजन''** अथवा **''जहां है जैसा है''** के आधार पर बेची जाएगी।

ग. दरें केवल 'लॉटस' अर्थात लॉट-1, लॉट-2 और लॉट-3 (प्रत्येक मशीन के लिए) के लिए उद्दधत की जानी चाहिए। लॉट-1 एवं लॉट-2 के लिए यदि कोई आंशिक दर उद्दधत की जाएगी, तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा और सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

घ. क्रेता द्वारा सरकारी आदेश के अनुसार बीजक की तिथि को यथा लागू सेवा और वस्तु कर(जी.एस.टी) का भुगतान किया जाएगा।

घ) **<u>विक्रय आदेश</u> :** संविदा को उस समय पूर्ण माना जाएगा जैसे ही निविदादाता द्वारा स्वीकृति पत्र प्राधिकरण द्वारा सफल निविदादाता को विक्रय पत्र जारी कर दिया जाएगा। संविदा की अवधि को जारी की तिथि अथवा स्वीकृति पत्र के 30 दिन के बाद से गिना जाएगा। पक्षकार द्वारा कार्य आरंभ करने से पहले संविदा मूल्य का दि.वि.प्रा. को पूर्ण भुगतान किया जाएगा। अनुबंध को उस समय समाप्त माना जाएगा जैसे ही क्रेता द्वारा क्षेत्र को खाली कर दिया जाएगा अथवा संविदा की अवधि की समाप्त हो जाएगी जैसा कि ऊपर उल्लिखित है, इनमें से जो भी पहले हो।

ङ) <u>मशीनों/उपकरणों को खोलना/हटाना/लादना:</u>

क. **बिकी हुई मदों को हटाना:** सफल निविदादाताओं को सपूर्ण मशीनरी और उपकरण जैसा कि उन्हें प्रदान की गई सूची/लॉट में दर्शाया गया है, उठवाने के लिए अपने स्वंय की लागत पर मजदूरों और मशीन लगवाकर जहां मशीने रखी हुयीहैं अर्थात दि.वि.प्रा. के प्रिटिंग प्रेस परिसर से कार्य आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिन के भीतर (जारी करने की तिथि सहित) अथवा ऐसी अवधि के भीतर जो कार्य आदेश में उल्लिखित की गई हो, पर उठवाना होगा।

ख. क्रेता को यह सुनिश्चित करना होगा कि डिलीवरी लेने के लिए लगाए गए वाहनों को प्रात: 10.00 बजे से सायं 4.00 बजे के दौरान इस तरह प्रवेश कराया जाएगा कि

लादने के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध हो और वाहनों को कार्यालय के कार्यालयी समय के खत्म होने से पहले बाहर निकाल दिया जाएगा। कार्यालयी समय के पश्चात कुछ भी लादने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। कार्यालय में लादने के समय के अलावा किसी भी वाहन को अंदर पार्किंग की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।

ग. यदि मूल क्रेता माल की डिलीवरी अपने एक प्रतिनिधि के माध्यम से लेने की इच्छा व्यक्त करता है तो उन्हें उसे एक प्राधिकार पत्र के माध्यम से प्राधिकृत करना होगा, जिसे वह इस कार्यालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा। ऐसा अधिकारी अपने पूरे विवेक से ऐसे किसी प्राधिकार पर कार्य करने से मना कर सकता है और क्रेता के लिए इन सभी मामलों, के लिए अधिकारी को संतुष्ट करना आवश्यक होगा कि प्राधिकार प्रमाणिक है। प्रॉक्सी/प्रतिनिधि के माध्यम से ली गयी डिलीवरी का जोखिम/उत्तरदायित्व केवल क्रेता का होगा और यदि डिलीवरी किसी गलत व्यक्ति को कर दी गई तो इसके लिए किसी भी प्रकार का दावा दि.वि.प्रा. के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।

घ. सामग्री को **"वजन"** और **"जहां है जैसा है"** के आधार पर क्रेता की स्वयं की लागत और खर्च पर हटाया जाएगा। दिल्ली विकास प्राधिकरण के एकमात्र विवेकाधिकार पर सुविधाजनक ढुलाई के लिए मशीन को खोलने के अतिरिक्त किसी अन्य प्रक्रिया की अनुमति नहीं दी जाएगी। क्रेता को विक्रेता द्वारा किसी भी प्रकार के मजदूरों अथवा उपकरण जिनमें डोजर, स्क्रैपर, क्रेन, गैस, पॉवर, पानी अथवा अन्य सुविधाएं प्रदान नहीं की जाएंगी। क्रेता को इनमें से किसी का भी प्रबंध अपने स्वयं के खर्च से करना होगा और उसे इस उददेश्य के लिए दि.वि.प्रा. से पूर्व अनुमति लेनी होगी।एक मशीन/लॉट हटाते हुए दूसरी मशीनों से छेड़छाड़/नुकसान नहीं किया जाना चाहिए।

ङ. सामान्य परिस्थितियों में शर्त में निर्धारित समय सीमा से अधिक समय बढ़ाने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। तथापि, यदि क्रेता अपरिहार्य परिस्थितियों के कारणवश यदि कार्य के निष्पादन के लिए समय बढ़ाने की इच्छा व्यक्त करता है, तो उसे ऐसी परिस्थितियां होने की तिथि से पांच दिन के भीतर प्रेस प्रबंधक, दि.वि.प्रा. के समक्ष लिखित रूप में आवेदन करना होगा और उनकी राय में (जो कि अंतिम रूप से मान्य होगी) यदि वे परिस्थितियों की विश्वसनीयता से संतुष्ट होते हैं, तो वे आवश्यकतानुसार ऐसी समय सीमा बढ़ा सकते हैं जिसके लिए क्रेता बाध्य होगा।

च. मशीनरी/उपकरण/सामग्री को खोलने और ढुलाई का उत्तरदायित्व क्रेता का होगा, जो सभी सुरक्षा उपाय अपनाते हुए स्वयं की लागत और जोखिम पर यह कार्य करेगा।

छ. क्रेता उन्हें बेची गई सामग्री को हटाने का प्रबंध करेगा और कार्य आदेश में निर्धारित समय सीमा के भीतर स्थल खाली करेगा। यदि स्वीकृति पत्र मे दी गई तिथि से 15 दिन की अवधि के भीतर मदों/सामग्री को उठाया नहीं जाता है, तो दि.वि.प्रा. का सक्षम अधिकारी आदेश जारी करके क्रेता की लागत और जोखिम पर सामग्री की पुन: बिक्री कर सकता है। दिल्ली विकास प्राधिकरण का निर्णय अंतिम माना जाएगा। क्रेता प्रिटिंग प्रेस परिसर में छोड़ी गई शेष मदों के लिए उद्धृत मूल्य पर निविदा राशि की लागत पर 1% की दर से प्रतिदिन का दण्ड प्रभार दि.वि.प्रा. को जमा करने के लिए उत्तरदायी होगा।

ज. बिक्री आदेश जारी होने के बाद, यदि किसी समय अधिभोगी (दि.वि.प्रा.) प्लांट चलाने के लिए कोई मद/मदों को रोके रखना चाहता है, तो क्रेता को इसके लिए सहमत होना चाहिए और अधिभोगी (दि.वि.प्रा.) के मूल्य निर्धारण के अनुसार बिक्री आदेश मूल्य से आवश्यक कटौती कर दी जाएगी, जिसे मानने के लिए क्रेता बाध्य होगा।

झ. भारी और बड़े परेषित माल के लिए, यदि आवश्यकता हो, तो क्रेता अपने संसाधनों से ट्रेलरर्स, कटर्स, क्रेन्स आदि का प्राइम मूवर्स के साथ प्रबंध कर सकता है। दि.वि.प्रा. उक्त ट्रेलर, कटर और प्राइम मूवर इत्यादि की अनुपलब्धता के कारण होने वाली किसी देरी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

ञ. यदि किसी को लगता है कि क्रेता अथवा उनके प्रतिनिधि उन्हें दिए गए अनुदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं अथवा संविदा के प्रावधानों के अनुरूप कार्यनहीं हो रहा है,तो प्रिंटिंग प्रेस, दि.वि.प्रा., विकास सदन, आई.एन.ए., नई दिल्ली -110023 के प्रभारी अधिकारी अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों को मशीन को खोलने को रोकने अथवा सामग्री की ढुलाई को रोकने का अधिकार होगा ।

ट. मशीन को खोलने/ सामग्री को हटाने के कार्य को **"अपनी इच्छा से चयन करो"** आधार पर अनुमति नहीं दी जाएगी।

ठ. मशीन को खोलने के कार्य, सामग्री को हटाने और उसकी ढुलाई का कार्य शनिवार, रविवार और राजपत्रित अवकाश के दिनों को छोड़कर सभी कार्य दिवसों में केवल प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक किया जाएगा । इसी प्रकार सायं 6.00 बजे के बाद किसी व्यक्ति को रुकने की अनुमति नहीं होगी ।

ड. क्रेता को सड़क के किनारे सामग्री के भंडारण की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिससे सड़क पर यातायात बाधित हो अथवा दि.वि.प्रा. के कार्य में असुविधा उत्पन्न हो।

ढ. पहले स्टोर की गई सामग्री को पहले हटाया जाना चाहिए । सामग्री को अलग करने और हटाने की समय-सूची और प्रक्रिया को दि.वि.प्रा. और क्रेता द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया जाएगा । क्रेता को इसका पालन सख्ती से करना होगा ।

ण. स्वामी के परिसरों में समान रखे होने की स्थिति में क्रेता को दि.वि.प्रा. द्वारा बेचे गए सामान में से किसी महत्वपूर्ण उपकरण / मद की पुनः बिक्री का अधिकार नहीं होगा। क्रेता अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के अतिरिक्त दि.वि.प्रा. द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को सामग्री देने की अनुमति नहीं होगी।

10. <u>बयाना जमाराशि जब्त करना</u>

विक्रय आदेश की तिथि से 07 दिनों के अंदर बिक्री कीमत के खाते में संपूर्ण भुगतान जमा नहीं कर पाने की स्थिति में दि.वि.प्रा. के पास बयाना जमाराशि को जब्त करने तथा इस असफलता के परिणामस्वरूप दि.वि.प्रा. को हुई हानि को वसूल करने का विकल्प होगा ।

11. <u>सुरक्षा</u>

क. क्रेता केन्द्र शासित प्रदेश/केन्द्र सरकार के सुरक्षा अनुदेशों के विनियमों के अनुसार सुरक्षा अनुदेशों का पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा और यह सुनिश्चित करेगा कि प्रेस / अधिभोगी परिसर के अन्दर व्यक्ति अथवा मशीन संबंधी कोई दुर्घटना अथवा क्षति न हो तथा इस कारण होने वाली किसी हानि/ दुर्घटना के बारे में दि.वि.प्रा. के नियमों के अनुसार निपटा जाएगा तथा इसके लिए क्रेता उत्तरदायी होगा ।

ख. प्रेस/अधिभोगी की संपत्ति को पहुँचे किसी नुकसान/क्षति की भरपाई क्रेता द्वारा की जाएगी, जिसका आकलन आकलन दि.वि.प्रा. प्रबंधन द्वारा गठित समिति के द्वारा किया जाएगा। इस मामले में लिया गया निर्णय क्रेता पर अंतिम और बाध्यकारी होगा।

ग. मशीन को खोलने के कार्य के दौरान क्रेता द्वारा गैस कटिंग कार्य की अनुमति केवल विशेषज्ञ के पर्यवेक्षण में दी जाएगी। क्रेता के पर्यवेक्षक कार्मिक यह सुनिश्चित करेंगे कि क्षेत्र तथा उसके आस-पास अग्नि से बचाव के साथ-साथ सभी सुरक्षा उपायों का ध्यान रखा जाएगा ।

घ. मशीनों को खोलने के कार्य में लगे हुए श्रमिकों के दुर्घटना के कारण आंशिक अथवा पूर्ण रुप से विकलांग होने अथवा मृत्यु होने की स्थिति में सफल क्रेता को कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक मुआवज़े का भुगतान करना होगा ।

ड. क्रेता सीवर लाइनों अथवा मेनहोल को नहीं छेड़ेगा तथा अपने खर्च पर इसे ठीक रखेगा।

च. क्रेता लागू कर्मकार प्रतिकर अधिनियम सहित श्रमिक विनियमों द्वारा शासित होगा।

12. सफल निविदादाताओं को **अनुलग्नक-V** के अनुसार करार पर हस्ताक्षर करने होंगे और यह करार 100/- रुपए के नॉन- ज्यूडिशियल स्टांप पेपर पर तैयार किया जाएगा।

13. <u>संविदा के सामान्य निबंधन एवं शर्तें :</u>

क. चूंकि यह एक समयबद्ध कार्य है समय-सूची का सख्ती से पालन किया जाएगा और मशीनरी एवं उपकरणों को हटाने/ उनके निपटान में देरी को गंभीरता से लिया जाएगा।

ख. दरें शब्दों और अंकों दोनों में उद्धृत की जानी चाहिए ।

ग. निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के बाद पीछे हटने वाली फर्मों को दि.वि.प्रा. विवर्जित कर सकता है अथवा उन्हें ब्लैक-लिस्ट कर सकता है तथा बयाना जमाराशि भी जब्त कर ली जाएगी ।

घ. सशर्त दरों अथवा दरों के साथ दी गई शर्तों को स्वीकार नहीं किया जाएगा और ऐसी सभी दरों को तत्काल अस्वीकृत कर दिया जाएगा ।

ड. किसी भी विवाद की स्थिति में उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. विकास सदन, आई.एन.ए., नई दिल्ली-110023 के निर्णय को अंतिम माना जाएगा ।

च. दरों को कोटेशन खुलने की तिथि से 90 दिनों के लिए वैध रखा जाएगा ।

छ. फर्म को ई-निविदा नोटिस में दिए गए सभी निबंधन एवं शर्तों का सख्ती से पालन करना होगा ।

ज. दि.वि.प्रा. को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय/स्तर पर निविदा को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने अथवा निविदा दस्तावेजों में निहित किसी निबंधन और शर्त में छूटदेने /संशोधन करने/वापस लेने का अधिकार है।निविदा जमा करने के पश्चात किसी पूछताछ का उत्तर नहीं दिया जाएगा । निविदा वापस लेने की स्थिति में बयाना जमाराशि जब्त मानी जाएगी ।

झ. निर्धारित तिथि और समय के पश्चात् प्राप्त निविदाओं को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

ञ. संविदा से उत्पन्न कोई मतभेद अथवा विवाद न्यायालय/नई दिल्ली के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत होगा और पार्टियों कोऐसे विवाद उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. द्वारा नियुक्त विषय सामग्री की विशेषज्ञता वाले एकमात्र मध्यस्थ द्वारा मध्यस्थता के माध्यम से न्याय

निर्णयन के लिए भेजने होंगे। मध्यस्थता की व्यवस्था माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 के अनुसार की जाएगी।

ट. निविदा सूचना के अंग्रेज़ी और हिन्दी संस्करण में यदि कोई अंतर पाया जाता है, तो अंग्रेज़ी संस्करण को अंतिम माना जाएगा।

ठ. निविदा की वैधता निविदा खुलने की तिथि से 60 दिन के लिए होगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर
(रबड़ की मुहर सहित)

अनुलग्नक II

ऑनलाइन बोली प्रस्तुतीकरण हेतु अनुदेशः

व्यय विभाग के निदेशों के अनुसार इस निविदा दस्तावेज को सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल (URL://eprocure.gov.in) पर प्रकाशित किया है। बोलीदाताओं से अपेक्षित है कि वे वैध डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण-पत्रों का प्रयोग करतें हुए सी.पी.पी. पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपनी बोली की सॉफ्ट कॉपी प्रस्तुत करें। नीचे दिए गए अनुदेश बोलीदाताओं को सी.पी.पी. पोर्टल पर

पंजीकरण करने , आवश्यकता के अनुसार अपनी बोली को ऑनलाइन प्रस्तुत करने मे सहायता करेंगे। सी.पी.पी. पोर्टल पर ऑनलाइन बोली प्रस्तुत करने के लिए उपयोगी अधिक जानकारी **http://eprocure.gov.in/eprocure/app** से प्राप्त की जा सकती है।

पंजीकरणः

1) बोलीदाताओं को सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल **(URL:http://eprocure.gov.in/eprocure/app)** के ई-प्रोक्योरमेंट मॉड्यूल पर ''क्लिक हेयर टू एनरोल'' पर क्लिक करकें नामांकन कराना अपेक्षित है। सी.पी.पी. पोर्टल पर नामांकन निःशुल्क है।

2) नामांकन प्रक्रिया के भाग के रूप में बोलीदाताआ को अपने खाते के लिए एक यूनिक यूजरनेम का चयन और पासवर्ड निश्चित करना अपेक्षित होगा।

3) बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे पंजीकरण प्रक्रिया के भाग के रूप में अपना वैध ई-मेल पता और मोबाइल नंबर रजिस्टर करें। सी.पी.पी. पोर्टल से किसी भी प्रकार की सूचना हेतु इनका उपयोग किया जाएगा।

4) नामांकन के बाद बोलीदाताओं को सी.सी.ए. इंडिया (उदाहरणतः सिफी/टी.सी.एस/एन कोड/ई मुद्रा इत्यादि) द्वारा मान्यता प्राप्त किसी प्रमाणित करने वाले प्राधिकरण द्वारा जारी अपने वैध डिजीटल हस्ताक्षर प्रमाण-पत्र (साइनिंग की यूसेज सहित श्रेणी **II** अथवा श्रेणी **III** प्रमाण-पत्र) को अपने प्रोफाइल के साथ रजिस्टर करना अपेक्षित होगा।

5) बोलीदाता द्वारा केवल एक वैध डिजीटल हस्ताक्षर प्रमाण-पत्र (डी.एस.सी) रजिस्टर किया जाना चाहिए। कृपया नोट करें कि बोलीदाता यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि अपना डी.एस.सी. किसी अन्य ऐसे व्यक्ति को नहीं देंगे जो उसका दुरूपयोग कर सकता हों।

6) इसके पश्चात् बोलीदाता अपने यूजर आई.डी./पासवर्ड और डी.एस.सी./ई-टोकन के पासवर्ड प्रविष्ट करके सुरक्षित लॉग-इन द्वारा साइट पर लॉग कर सकते हैं।

<u>निविदा दस्तावेजों हेतु सर्च करना</u>

1) कई पैरामीटर्स द्वारा सक्रिय निविदाओं का पता लगाने के लिए बोलीदाताओं की सहायता करने हेतु सी.पी.पी. पोर्टल में अनेक सर्च विकल्प हैं। इन पैरामीटर्स में निविदा आई.डी., संगठन का नाम, स्थान, तिथि, मूल्य इत्यादि शामिल हो सकते हैं। निविदाओं के एडवांस्ड सर्च का एक अन्य विकल्प भी है, जिसमें बोलीदाता सी.पी.पी. पोर्टल पर प्रकाशित निविदा को सर्च करने के लिए कई सर्च पैरामीटर्स जैसे संगठन का नाम, संविदा का फार्म, अवस्थिति,तिथि, अन्य की वर्ड इत्यादि को सम्मिश्रित कर सकता है।

2) यदि बोलीदाता उन निविदाओं का चयन कर लेते हैं, जिनके लिए वे इच्छुक हैं, तो वे अपेक्षित दस्तावेज/निविदा कार्यक्रम डाउनलोड कर सकते हैं। इन निविदाओं को संबंधित 'माय टेंडर' फोल्डर पर ले जाया जा सकता है। यदि निविदा दस्तावेजों के लिए कोई शुद्धि-पत्र जारी किया जाता है, तो इसके द्वारा सी.पी.पी. पोर्टल बोलीदाताओं को एस.एम.एस./ई-मेल के द्वारा सूचित कर सकेगा।

3) यदि बोलीदाता हेल्पडेस्क् से कोई स्पष्टीकरण/सहायता प्राप्त करना चाहते हैं, तो प्रत्येक निविदा के लिए दी गई यूनिक टेण्डर आई डी का एक नोट तैयार करे।

<u>बोली की तैयारी</u>

1) बोलीदाता अपनी बोली प्रस्तुत करने से पूर्व निविदा दस्तावेज में प्रकाशित किसी भी शुद्धिपत्र का ध्यान रखेंगे।

2) कृपया बोली के भाग के रूप में प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित दस्तावेज़ो को समझने के लिए सावधानीपूर्वक निविदा विज्ञापन और निविदा दस्तावेज को पढे। कृपया कवरों की संख्या, जिनमे बोली दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे, प्रत्येक दस्तावेज के नाम और विषय वस्तु सहित दस्तावेजों की संख्या, जिन्हें प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है, को नोट करें। इनमें से किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने पर बोली रद की जा सकती है।

3) बोलीदाता, पहले से ही, निविदा दस्तावेज/अनुसूची में यथा निर्दिष्ट बोली दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहे और ये दस्तावेज सामान्य रूप में पीडीएफ/एक्स एल एस/आर ए आर/ डी डब्ल्यू एफ में हो सकते हैं। बोली दस्तावेज काले और सफेद विकल्प के साथ 100 डीपीआई में स्कैन किए जाएं।

4) प्रत्येक बोली के भाग के रूप में प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित मानक दस्तावेजों के सेट को अपलोड करने में अपेक्षित समय और प्रयास बचाने के लिए, बोलीदाताओं के लिए ऐसे मानक दस्तावेज (अर्थात् पैन कार्ड की कॉपी, वार्षिक रिपोर्टें, ऑडिशन सर्टिफिकेट आदि) अपलोड करने के लिए प्रावधान किया गया है। बोलीदाता ऐसे दस्तावेज अपलोड करने के लिए उनके लिए उपलब्ध ''माई स्पेस'' का प्रयोग कर सकते हैं। बोली जमा करने के दौरान, इन दस्तावेजों को ''माई स्पेस'' से सीधे ही जमा किया जा सकता है। और इन्हें बार-बार अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है इससे बोली प्रस्तुतिकरण प्रक्रिया के लिए अपेक्षित समय में बचत होगी।

<u>बोली प्रस्तुतिकरण</u>

1) बोलीदाता बोली प्रस्तुतिकरण के लिए पहले से ही साइट पर लॉग-इन करें ताकि वह बोली को समय पर अर्थात् बोली प्रस्तुतिकरण के समय पर अथवा उससे पूर्व, अपलोड कर सके। किसी भी अन्य मामले की वजह से होने वाली देरी के लिए बोलीदाता जिम्मेदार होगा।

2) बोलीदाता को डिजिटल हस्ताक्षर ओर निविदा दस्तावेज में यथाविनिर्दिष्ट अपेक्षित बोली दस्तावेजों को एक-एक करके अपलोड करना होगा।

3) बोलीदाता को यथा लागू निविदा शुल्क /ईएमडी के भुगतान के लिए 'ऑफलाईन' भुगतान विकल्प का चयन करना होगा और साधन (इन्स्ट्रूरमेंट) के विवरण को दर्ज करना होगा।

4) बोलीदाता, निविदा दस्तावेज में विनिर्दिष्ट अनुदेशों के अनुसार ईएमडी तैयार करेंगे। मूल प्रति, बोली प्रस्तुतिकरण की अन्तिम तिथि तक डाक द्वारा/कूरियर द्वारा/व्यक्तिग रूप से, टेंडर प्रोसेसिंग सेक्शन में पहुँच जानी चाहिए। फिजीकल रूप से भेजी गई डीडी/कोई अन्य स्वीकृत साधन (इन्स्ट्रूरमेंट) के विवरण, स्कैन की गई प्रति में उपलब्ध विवरण और बोली प्रस्तुतिकरण के दौरान दी गई तिथि के अनुसार होने चाहिए। अन्यथा अपलोड की गई बोली रद्द हो जाएगी।

5) एक मानक बीओक्यू फार्मेट सभी बोलीदाताओं द्वारा भरे जाने वाले निविदा दस्तावेज के साथ उपलब्ध कराया गया है। बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे उपलब्ध फार्मेट में ही अपनी वित्तीय बोली आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें और कोई अन्य फार्मेट स्वीकार्य नहीं

है। बोलीदाताओं के लिए बी.ओ.क्यू. फाइल को डाउनलोड करना, ओपन करना और अपने संबंधित वित्तीय उद्धरण तथा अन्य विवरण (जैसे बोलीदाता का नाम) सहित सफेद रंग (अनप्रोटेक्टिड) के सेलों में भरना अपेक्षित है। किसी भी अन्य सेल को बदला नहीं जाना चाहिए। विवरण के पूरा हो जाने के बाद, बोलीदाता को इसे फाइल के नाम को बदले बिना सेव और ऑनलाइन सब्मिट करना चाहिए। यदि बी.ओ.क्यू. फाइल को बोलीदाता द्वारा संशोधित किया गया पाया जाता है, तो बोली को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

6) सर्वर टाइम (जो बोलीदाता के डैशबोर्ड पर प्रदर्शित किया जाता है) को बोलीदाता द्वारा बोली प्रस्तुत करने, बोली खोलने आदि के लिए अंतिम समय-सीमा को संदर्भित करने हेतु मानक समय माना जाएगा। बोलीदाताओं को बोली प्रस्तुत करने के दौरान इस समय का पालन करना चाहिए।

7) बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे सभी दस्तावेजों को डाटा की गोपनीयता सुनिश्चित करने हेतु पी.के.आई. एन्क्रिप्शन तकनीक का उपयोग करके एन्क्रिप्ट किया जाएगा। दर्ज किए गए डाटा को बोली खुलने के समय तक प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा नहीं देखा जा सकता । बोली की गोपनीयता को सुरक्षित सॉकेट लेयर 128 बिट एन्क्रिप्शन प्रौद्योगिकी का उपयोग करके बनाए रखा जाता है।

8) अपलोड किए गए निविदा दस्तावेज केवल प्राधिकृत बोली खोलने वाले द्वारा निविदा खोले जाने के बाद ही पठनीय होते हैं।

9) बोलियों के सफलता-पूर्वक औार समय पर प्रस्तुत होने पर, पोर्टल सफल बोली जमा करने का मैसेज भेजेगा और बोली के संक्षिप्त विवरण को बोली नंबर और बोली प्रस्तुत करने की तिथि और समय के साथ अन्य सभी संबंधित विवरण सहित प्रदर्शित किया जाएगा।

10) बोली के संक्षिप्त विवरण को प्रिंट किया जाए और बोली जमा करने की पावती के रूप में रखा जाए। इस पावती को किसी भी बोली खोलने की बैठक में एक एंट्री पास के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।

<u>बोलीदाताओं को सहायता</u>

1) निविदा दस्तावेजों और इसमें निहित निबंधन और शर्तों से संबंधित किसी भी प्रश्न को निविदा हेतु निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकारी अथवा निविदा में बताए गए संबंधित सम्पर्क व्यक्ति को संबोधित किया जाना चाहिए।

2) ऑनलाइन बोली प्रस्तुत करने की प्रक्रिया से संबंधित किसी भी प्रश्न अथवा सी.पी.पी. पोर्टल से संबंधित किसी भी प्रश्न को 24X7 सी.पी.पी. पोर्टल हैल्पडैस्क से पूछा जा सकता है। हैल्पडैस्क हेतु टोल फ्री सम्पर्क नंबर **0120-4200462,0120-4001002** है।

मूल्य बोली का प्रारूप **अनुलग्नक-III**

मूल्य बोली (बी.ओ.क्यू.) का अनुलग्नक- II

क्रम सं.	**कार्य का विवरण**	**बोलीदाता द्वारा मशीनों हेतु भरी जाने वाली दरें**	**बोलीदाता द्वारा अलग से भरी जाने वाली**

		(जी.एस.टी. को छोड़कर)	जी.एस.टी. राशि
1.	**लॉट सं. 1** (क्रम सं. 1 से 5 तक) (प्रति किग्रा)		
2.	**लॉट सं. II** केवल लॉट (एकमुश्त) मशीनें क्रम सं. 6 से 12 तक		
3.	**लॉट सं.-III** (अन्य मशीनें) और शेष मशीनें अनुलग्नक-IV (अर्थात् क्रम सं. 12 से 20 तक) **प्रत्येक मशीनों की कीमत उद्धृत की जानी है**।		
	i) मेसर्स रिकॉर्ड मशीन प्रा. लि. चालान संख्या आर.एम. /13-94-95 दिनांक 27-12-1994 के संदर्भ में अर्ध स्वचालित कटिंग मशीन हाइकट-10-हाइड्रोलिक गुलोटाइन के साथ सभी समानों से पूर्ण एयर कुशन टेबल 107 से.मी. (42") अर्थात् इन्फ्रा रेड सेफ्टी डिवाइस मशीन संख्या 941217 की आपूर्ति की गयी।		
	ii) मेसर्स जे. मालाबीर और कम्पनी लि., 3620-21, नेताजी सुभाष मार्ग, नई दिल्ली-02 द्वारा ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन डॉमिनेन्ट-715 सिंगल कलर शीटफीड मशीन मैक्स पेपर साइज 485X600 एम.एम. (19"X26") मशीन सं. 715 ए- 1898 की आपूर्ति की गयी।		
	iii) मेसर्स केंद्रीय भण्डार से डी.यू.पी.एल.ओ.-43 एस (एच.सी.एल.) कॉपी प्रिंटर खरीदा गया, जिसकी आपूर्ति दिनांक 30-9-2004 को चालान संख्या डी.सी. 04300165 के माध्यम से किया गया तथा प्रेस में स्थापित किया गया।		
	iv) एच.एम.टी. दो रंग वाली शीटफीड ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन मॉडल एस.ओ.एम.-231 जिसमें सभी मानक सामान और बिजली के उपकरणों के साथ प्लेट सिलेंडर पर रजिस्टर पिन, प्लेट पंचिंग डिवाइस, मानक सामान और बिजली के उपकरणों के साथ प्रेस के नीचे ऑयल ट्रे होगी।		
	v) मैसर्स एन.सी.सी.एफ. वाइड चालान नं. 601287 से स्टिचिंग मशीन 'सिन्दु मेक' 5/8" आकार की		

	vi) स्वचालित नंबरिंग मशीन(ऑटोप्रिंट रेकनर) (क्रम संख्या एफ.आर.ई. 01 बी.सी.3 डी 09174) 5 कैम रिंग के मानक सामान शामिल करने के साथ, 5 फिंगर्स् सी.ए.एम.आई. 5 कट रोलर्स और 2 घुर्णी होल्डरों के साथ छिद्रित पहिया रोटरी स्ट्रेट नंबरिंग बॉक्स 8 संख्या में (7 अंक की संख्या) रोटरी वर्टीकल नंबरिंग बॉक्स 2 संख्या में (7 अंक की संख्या)		
	vii) 12 स्टेशनों की स्टिचर फोल्डर और ट्रिमर (एस.एफ.टी.) सहित 15”X20” के आकार की ऑटोमेटिक गैदरिंग मशीन।		
	viii) दो ड्रम, कंप्यूटर इंटरफेस कार्ड वाली रिसोग्राफ डिजिटल मशीन एम.जेड.-8700 ए.जे.।		

(क) उपयुक्त जी.एस.टी. राशि को फर्म द्वारा अंकों में अलग-अलग भरा जाए।

(ख) सम्पूर्ण लॉट सं. 1 (अर्थात् क्रम संख्या 1 से 11 तक) के लिए सबसे अधिक कोटेड रेट के आधार पर एच1 (सबसे बड़ी फर्म) का चयन किया जायेगा। बची हुई मशीनों हेतु (अर्थात् क्रम संख्या 12 से 20) तक के लिए सबसे बड़े का चयन प्रत्येक मशीन के बोली के आधार पर की जायेगी।

(ग) इस दस्तावेज पर कटिंग/ओवरराइटिंग करने की अनुमति नहीं है। अंको और शब्दों में दर्शायी गयी मूल्य बोली के बेमेल/अस्पष्टता के मामले में शब्दों में लिखित राशि मान्य होगी।

स्वामी/मालिक के हस्ताक्षर

(मुहर सहित)

अनुलग्नक-IV

दिल्ली विकास प्राधिकरण

प्रिंटिंग प्रेस, आई.एन.ए.,विकास सदन, नई दिल्ली-23

मशीनरी और उपकरणों की सूची

क्रम सं.	मशीनरी और उपकरणों का विवरण	मात्रा और भार किग्रा में
	लॉट-I	
1.	कटिंग मशीन 32” चौड़ाई (सेमी मैनुअल)	1 (एक)/900 किग्रा लगभग
2.	रूलिंग मशीन	1 (एक)/300 किग्रा लगभग
3.	पॉवर ड्रिवन स्टिचिंग मशीन 1” मोटाई	1(एक) /200 किग्रा लगभग
4.	पॉवर लाइनर कंडिश्नर	1(एक) /60 किग्रा लगभग
5.	प्रूफिंग मशीन	1(एक) /15 किग्रा लगभग
	लॉट-II	
6.	13.5”X18” आकार की लेटर प्रेस प्रिंटिंग मशीन, प्लेटन (चंदलर) मशीन	1(एक) /800 किग्रा लगभग
7.	मैनुअल स्टिचिंग मशीन	1(एक) /60 किग्रा लगभग
8.	छेद बनाने की (परफोरेटिंग) मशीन	1(एक) /50 किग्रा लगभग
9.	12” चौड़ाई की रेजिंग मशीन	1(एक) /15 किग्रा लगभग
10.	शिकंजा	1(एक) /15 किग्रा लगभग
11.	सुआ वाली मशीन (मैनुअल)	1(एक) /5 किग्रा लगभग
12.	डी.यू.पी.एल.ओ.-43 एस(एच.सी.एल.) डिजिटल कॉपी प्रिंटर	1(एक) /115 किग्रा
	लॉट-III	
13.	लेटर प्रेस प्रिंटिंग मशीन, प्लेटन (चंदलर) 13”X19” आकार की	1(एक) /800 किग्रा लगभग
14.	अर्ध स्वचालित कटिंग मशीन हाइकट-10-हाइड्रोलिक गुलोटाइन के साथ सभी सामानों से परिपूर्ण एयर कुशन टेबल 107 सेमी (42”) अर्थात् मेसर्स रिकार्ड मशीन प्रा.लि. की इन्फ्रा रेड सेफ्टी डिवाइस मशीन सं. 941217।	1(एक) /2700 किग्रा लगभग
15.	ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन डॉमिनेन्ट-715 ए सिंगल कलर शीटफीड मशीन मैक्स पेपर साइज 485X600 एम.एम. (19”X26”) मशीन सं. 715 ए-1898 मैसर्स जे. मालाबीर	1(एक) /2350 किग्रा

	और कम्पनी लि. द्वारा आपूर्ति की गयी।	
16.	एच.एम.टी. दो रंग वाली शीटफीड ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन मॉडल एस.ओ.एम.-231 जिसमें सभी मानक सामान और बिजली के उपकरण के साथ प्लेट सिलेंडर पर रजिस्टर पिन, प्लेट पंचिंग डिवाइस, मानक सामान और बिजली के उपकरणों के साथ प्रेस के नीचे तेल ट्रे सहित मैसर्स एच.एम.टी. लिमिटेड द्वारा आपूर्ति की गई।	1(एक) /9400 किग्रा
17.	स्टिचिंग मशीन 'सिन्दु मेक' 5/8" आकार की।	1(एक) /135 किग्रा लगभग
18.	स्वचालित नंबरिंग मशीन(ऑटोप्रिंट रेकनर) (क्रम संख्या फ्रे 01 बी.सी. 3डी. 09174) 5 कैम रिंग के मानक सामान शामिल करने के साथ, 5 फिंगर्स सी.ए.एम.आई 5 कट रोलर्स और 2 घुर्णी होल्डरों के साथ छिद्रित पहिया रोटरी स्ट्रेट नंबरिंग बॉक्स 8 संख्या में (7 अंक की संख्या) रोटरी वर्टीकल नंबरिंग बॉक्स 2 संख्या में (7 अंक की संख्या)	1(एक) /900 किग्रा
19.	स्टिचर फोल्डर और ट्रिमर (एस.एस.टी.) के साथ 12 स्टेशनों वाली 15"X20" के आकार का ऑटोमेटिक गैदरिंग मशीन	1(एक) /1700 किग्रा
20.	दो ड्रम, कम्प्यूटर इंटरफेस कार्ड वाली रिसोग्राफ डिजिटल मशीन एम.जेड.-8700 ए.जी.	1(एक) /900 किग्रा लगभग

<u>नोट</u> : भाषा में विसंगति पाए जाने पर अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

<u>करार</u> **अनुलग्नक-V**

यह करार (दिनांक) दिन (माह) 2018 को श्री .... सुपुत्र श्री .... निवासी (ठेकेदार का पता) .... जिनकी बिजनेस फर्म का नाम मैसर्स.............................. (फर्म का नाम) .... (फर्म का पता) शहर....................................... (शहर) .... (पिन कोड)........................... कम्पनी/फर्म/एजेंसी

(जिसको इसके बाद ठेकेदार कहा गया है, जिनकी अभिव्यक्ति, जहाँ भी संदर्भ अपेक्षित हो अथवा स्वीकृत हो, को उनके उत्तराधिकारी, निष्पादकों, प्रकाशकों और कानूनी प्रतिनिधियों को शामिल करके माना जाएगा।) एक भाग के हैं

और

प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक, दि.वि.प्रा. प्रिटिंग प्रेस, (जिसको बाद में "प्राधिकारी" कहा गया है जिनकी अभिव्यक्ति, जहाँ भी संदर्भ अपेक्षित हो अथवा स्वीकृत हो, में उनके द्वारा अधिकृत उनके अधिकारी शामिल माने जाएंगे।) अन्य भाग के हैं।

जबकि ठेकेदार ने दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास सदन, आई.एन.ए., नई दिल्ली-110023 को दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास सदन, आई.एन.ए., नई दिल्ली-110023 के परिसर से '**वजन' एवं 'जैसा है जहाँ है'** आधार पर विभिन्न प्रकार की प्रिंटिंग मशीनरी और सहायक यंत्रों की बिक्री/निपटान हेतु एक निविदा प्रस्तुत की है और जबकि उक्त निविदा उल्लिखित निबंधन एवं शर्तों पर स्वीकार कर ली गई है।

जबकि ठेकेदार भागीदारी फर्म/कम्पनी की ओर से इस करार के निष्पादन हेतु करार के साथ अनुलग्नक-V के रूप में संलग्न प्राधिकृत पत्र दिनांक........... संकल्प दिनांक........................ के आधार पर विधिवत् प्राधिकृत है।

अब इस इंडेंचर में निम्नलिखित शामिल हैः-

1. यह करार .... (दिन)(माह)(वर्ष) से लागू होगा और 30 दिन की अवधि अथवा निविदा में उद्धृत राशि के पूर्ण भुगतान के बाद विभिन्न प्रकार की प्रिंटिंग मशीनरी और सहायक यंत्रों को उठाने के कार्य के पूरा होने के बाद तक लागू रहेगा।
2. **कार्य :** प्रिंटिंग प्रैस, दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास सदन, आई.एन.ए., नई दिल्ली -110023 के परिसर से '**वजन' एवं "जैसा है जहाँ है"** आधार पर विभिन्न प्रकार की प्रिटिंग मशीनरी और सहायक यंत्रों की बिक्री/निपटान।
3. ठेकेदार को उन्हें शर्तों और सामग्री की कोटि के बारे में विस्तार से संतुष्ट करना चाहिए। दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास सदन, आई.एन.ए., नई दिल्ली -110023 किसी भी विशेष उद्देश्य अथवा उपयोग के लिए सामग्री अथवा इसकी कोटि की कोई गारंटी अथवा वारंटी नहीं देता है। यह स्पष्ट तौर पर समझा जाना चाहिए कि कोटि, विशेषताओं, मात्रा और उपयोग हेतु शर्तों के बारे में

किसी दावे/शिकायत पर दिल्ली विकास प्राधिकरण विकास सदन, आई.एन.ए., नई दिल्ली-110023 विचार नहीं करेगा।

4. **कार्य आदेश :** अनुबंध को उस समय लागू माना जाएगा जब सफल निविदादाता को दि.वि.प्रा. द्वारा स्वीकृत पत्र और प्रभारी अधिकारी, दि.वि.प्रा. प्रैस द्वारा कार्य आदेश जारी कर दिया गया हो। अनुबंध की अवधि अंतिम डिलीवरी ऑर्डर और खरीददार द्वारा किए गए पूर्ण भुगतान की तिथि से 30(तीस) दिन होगी। आबंटित की गई संपूर्ण सामग्री के खरीददार द्वारा क्षेत्र से हटा लिए जाने पर अथवा ऊपर यथा उल्लिखित अनुबंध की अवधि समाप्त हो जाने , जो भी पहले हो, पर अनुबंध को पूर्ण माना जाएगा।
5. **प्रेस परिसर में निपटान हेतु पड़ी हुई सामग्री का निरीक्षण :** ठेकेदारों को सलाह दी जाती है कि वे विभिन्न प्रकार की मशीनरी और सहायक यंत्रों के संबंध में उनके भार के साथ-साथ उनका स्वयं आकलन कर लें। दिया गया वजन सांकेतिक है और वास्तविक नहीं है। भार में भिन्नता के संबंध में किसी भी दावे, यदि कोई हो, पर विचार नहीं किया जाएगा।
6. **भुगतान :**

   7 दिन में भुगतान न किए जाने के मामले में दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास सदन, आई.एन.ए., नई दिल्ली-110023 के पास बयाना राशि, जमा/प्रतिभूति राशि को जब्त करने का विकल्प होगा और ऐसा न करने के परिणामस्वरूप दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास सदन, आई.एन.ए., नई दिल्ली-110023 द्वारा उठाई गई हानि को पूरा करने का भी विकल्प होगा। यथा लागू वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) अथवा सरकार द्वारा लिया जाने वाला कोई भी अन्य कर सरकार के आदेशानुसार इनवॉयस की तिथि को खरीददार द्वारा देय होगा।

7. जोखिम :

दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास सदन, आई.एन.ए., नई दिल्ली-110023 द्वारा ठेकेदार के ऑफर को स्वीकार करने की तिथि से वस्तुओं का प्रत्येक प्रकार का जोखिम ठेकेदार का होगा और उस तिथि से सुरक्षित अभिरक्षा अथवा संरक्षण का उत्तरदायित्व सरकार का नहीं होगा।

8. <u>मशीनों/यंत्रों की डिसमेंटलिंग/ हटाना/ लोडिंग करना और इनकी ट्रांसपोर्टिंग</u> :

क) **बेची गई मदों को हटाना :** ठेकेदार को प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक, दि.वि.प्रा. प्रिंटिंग प्रैस द्वारा जारी किए गए कार्य आदेश जारी करने की तिथि (जारी करने की तिथि सहित) से 30 दिन के अन्दर अथवा कार्य आदेश में निर्धारित समय सीमा के अन्दर

सूची अवार्ड किए गए लॉट में यथा विनिर्दिष्ट संपूर्ण मशीनरी और यंत्रों को अपनी लागत पर मजदूरों की नियुक्ति करके मशीनों को उनके स्थान से उठवाना होगा।

ख) ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि निपटान हेतु लगाए गए वाहन लोडिंग के लिए पूर्वाहन 10.00 बजे से अपराहन 5.00 बजे तक इस प्रकार रिपोर्ट करें कि लोडिंग के लिए अपेक्षित समय उपलब्ध हो सके और प्रेस के कार्य समय के दौरान ही वाहनों को रिलीज किया जा सके। कार्य घण्टों के अलावा किसी भी लोडिंग की अनुमति नहीं होगी। एक बार लोडिंग पूर्ण होने के बाद किसी भी वाहन को दि.वि.प्रा. परिसर में पार्किंग की अनुमति नहीं होगी।

ग) यदि ठेकेदार खरीदी गई वस्तुओं की डिलीवरी एक प्रतिनिधि के माध्यम से लेना चाहता है, तो उसे प्रतिनिधि को एक पत्र द्वारा प्राधिकृत करना होगा, जिसे कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। ऐसे अधिकारी अपने संपूर्ण विवेक से ऐसी किसी अथॉरिटी से मना कर सकते हैं और ऐसे सभी मामलों में यह खरीददार की जिम्मेदारी है कि वह ऐसे अधिकारी को संतुष्ट करे कि अथॉरिटी असली है। परोक्षी/प्रतिनिधि द्वारा डिलीवरी पूरी तरह खरीददार के जोखिम/जिम्मेदारी पर होगी और यदि डिलीवरी किसी गलत व्यक्ति के पास हो जाती है, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास सदन, नई दिल्ली-110023 के विरूद्ध कोई दावा पेश नहीं होगा।

घ) सामग्री को '**वजन' एवं "जैसा है जहाँ है"** आधार पर ठेकेदार की अपनी लागत और खर्च पर हटाया जाएगा। सुविधाजनक ट्रांसपोर्टेशन के लिए अपेक्षित डिसमेंटलिंग के अलावा किसी भी अन्य कार्यवाही की अनुमति नहीं होगी, जो दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास सदन, आई.एन.ए., नई दिल्ली-110023 के विवेक पर होगा। ठेकेदार को अधिभोगी द्वारा कोई भी मजदूर अथवा यंत्र, जिसमें डोज़र, स्क्रेपर, क्रेन, गैस, पॉवर, जल अथवा अन्य सुविधाएं शामिल हैं, उपलब्ध नहीं करवाई जाएंगी। ठेकेदार इनमें से किसी का भी प्रबंध अपनी स्वयं की लागत पर करेगा और इसके लिए उनको पहले दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास सदन, आई.एन.ए., नई दिल्ली -110023 से पूर्व अनुमति लेनी होगी एक लॉट को हटाते समय दूसरे लॉट को अस्त व्यस्त न किया जाए/नुकसान न पहुँचायाजाए।

ङ) सामान्य परिस्थितियों में शर्तों में अनुबद्ध समय सीमा में वृद्धि नहीं की जाएगी। तथापि, यदि खरीददार किसी अपरिहार्य परिस्थिति के कारण स्वीकृति आदेश के निष्पादन में वृद्धि चाहता है, तो उसे ऐसी परिस्थिति की तिथि से पाँच दिन की अवधि के अन्दर दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास सदन, आई.एन.ए., नई दिल्ली-110023 को लिखित में आवेदन करना होगा और यदि उनकी राय में (जो अंतिम होगी) दिए गए आधारों की तार्किकता से संतुष्ट है, तो क्रेता के लिए ऐसे

किसी समय के विस्तार, जो भी आवश्यक, उचित और बाध्य हो, की स्वीकृति दी जा सकती है।

च). माल के पुर्जे अलग करना और लाने ले जाने की सारी जिम्मेदारी सभी सुरक्षा, सावधानियों को ध्यान में रखते हुए अपनी लागत और जोखिम पर ठेकेदार की होगी।

छ). ठेकेदार, उन्हें बेची गई सामग्रियों को हटाने और कार्य आदेश में उल्लिखित निर्धारित अवधि के अन्दर साइट को खाली करने की व्यवस्था करेगा। यदि जारी किए गए स्वीकृति आदेश में दिए गए समय और तिथि के अंदर मदों/सामग्रियों का निपटान नहीं किया जाता है, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास सदन, आई.एन.ए., नई दिल्ली-110023 क्रेता के जोखिम और लागत पर मदों का पुन: विक्रय कर सकता है। दिल्ली विकास सदन, आई.एन.ए., नई दिल्ली-110023 का निर्णय अंतिम होगा। प्रिटिंग प्रेस परिसर में, ऐसी शेष पड़ी मदों आदि के लिए उद्धृत मूल्य पर दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास सदन, आई.एन.ए., नई दिल्ली-110023 को प्रति दिन निविदा राशि की लागत के 1% की दर से दण्ड प्रभार का भुगतान करने के लिए भी ठेकेदार उत्तरदायी होंगे।

ज). विक्रय आदेश जारी किए जाने के पश्चात यदि अधिभोगी किसी भी समय चालू संयंत्रों के प्रयोजन हेतु किसी मद/मदों को रोकना चाहता है, तो इसके लिए क्रेता की सहमति होनी चाहिए और अधिभोगी के आकलन के अनुसार विक्रय आदेश के मूल्य से आवश्यक कटौती की जाएगी, जो क्रेता के लिए बाध्यकारी होगी।

झ). भारी और लम्बे प्रेषित माल के लिए, यदि आवश्यक हो, तो ठेकेदार दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास सदन, आई.एन.ए., नई दिल्ली-110023 से आवश्यक अनुमोदन लेने के बाद अपने स्वयं के संसाधनों के माध्यम से प्राइम-मूवर्स के साथ ट्रेलर कटर, क्रेन आदि की व्यवस्था कर सकते हैं। उपर्युक्त ट्रेलर कटर और प्राइम मूवर्स आदि की अनुपलब्धता के कारण होने वाली किसी भी देरी के लिए दि.वि.प्रा. जिम्मेदार नहीं होगा।

´). दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास सदन, आई.एन.ए. नई दिल्ली-110023 अथवा इसके अधिकृत प्रतिनिधियों को यह अधिकार होगा कि यदि वे महसूस करते हैं कि खरीददार अथवा उनके प्रतिनिधि अनुबंध के प्रावधानों के अनुपालन में कार्य नहीं कर रहें,तो वे माल के पूर्जे अलग करने और लोडिंग करने पर रोक लगा सकते हैं।

ट). मशीन को खोलने/सामग्री को हटाने के कार्य को **"अपनी इच्छा से चयन करो"** आधार पर अनुमति नहीं दी जाएगी।

ठ). मशीन को खोलने के कार्य, सामग्री को हटाने और उसकी ढुलाई का कार्य शनिवार, रविवार और राजपत्रित अवकाश के दिनों को छोड़कर सभी कार्य दिवसों में केवल प्रात: 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक किया जाएगा। इसी प्रकार सायं 6.00 बजे के बाद किसी व्यक्ति को रूकने की अनुमति नहीं होगी।

ड). ठेकेदार को सड़क के किनारे सामग्री के भंडारण की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिससे सड़क पर यातायात बाधित हो अथवा प्रेस के कार्य में असुविधा उत्पन्न हो।

ढ). पहले स्टोर की गई सामग्री को पहले हटाया जाना चाहिए। सामग्री को अलग करने और हटाने की समय-सूची और प्रक्रिया को दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास सदन, आई.एन.ए., नई दिल्ली-110023 और ठेकेदार द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया जाएगा। ठेकेदार को इसका पालन सख्ती से करना होगा।

ण). स्वामी के परिसरों में सामान रखे होने की स्थिति में ठेकेदार को दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास सदन, आई.एन.ए., नई दिल्ली-110023 द्वारा बेचे गए सामान में से किसी महत्वपूर्ण उपकरण/मद की पुन: बिक्री का अधिकार नहीं होगा। ठेकेदार अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के अतिरिक्त प्रिटिंग प्रेस के प्रभारी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को सामग्री देने की अनुमति नहीं होगी।

9. सुरक्षा

क). ठेकेदार केन्द्र शासित प्रदेश/केन्द्र सरकार के सुरक्षा अनुदेशों के विनियमों के अनुसार सुरक्षा अनुदेशों का पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा और यह सुनिश्चित करेगा कि प्रेस/अधिभोगी परिसर के अंदर व्यक्ति अथवा मशीन संबंधी कोई दुर्घटना अथवा क्षति न हो तथा इस कारण होने वाली किसी हानि/दुर्घटना के बारे में फैक्टरी के नियमों के अनुसार निपटा जाएगा तथा इसके लिए ठेकेदार उत्तरदायी होगा।

ख). प्रेस/अधिभोगी की संपत्ति को पहुँचे किसी नुकसान/क्षति की भरपाई क्रेता द्वारा की जाएगी, जिसका आकलन दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास सदन, आई.एन.ए., नई दिल्ली-110023 प्रबंधन द्वारा गठित समिति के द्वारा किया जाएगा। इस मामले में लिया गया निर्णय ठेकेदार पर अंतिम और बाध्यकारी होगा।

ग). मशीन को खोलने के कार्य के दौरान ठेकेदार द्वारा गैस कटिंग कार्य की अनुमति केवल विशेषज्ञ के पर्यवेक्षण में दी जाएगी। ठेकेदार के पर्यवेक्षण

कार्मिक यह सुनिश्चित करेंगे कि क्षेत्र तथा उसके आस-पास अग्नि से बचाव के साथ-साथ सभी सुरक्षा उपायों का ध्यान रखा जाए।

घ). विक्रय सामग्री को अलग करने , हटाने, लोडिंग करने और ढुलाई की सभी व्यवस्थाएँ ठेकेदार को स्वयं ही करनी होंगी।

ड). ढुलाई पर लगे श्रमिकों की किसी भी दुर्घटना के कारण आंशिक या पूर्ण रूप से विकलांगता अथवा मृत्यु होने पर , ठेकेदार को कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम अथवा वर्तमान में लागू किसी अन्य अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक मुआवज़ा देना होगा।

च). ठेकेदार, सीवर लाइनों और मैनहोलों को बाधित नहीं करेंगे और खरीददार द्वारा इन्हें अपने खर्चे पर इसे अच्छा भी बनाया जाएगा।

छ). ठेकेदार पर श्रमिक विनियम लागू होगा, जिसमें वर्तमान में लागू कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम भी शामिल होगा।

10. संविदा के संबंध में कोई भी मतभेद अथवा विवाद न्यायालय/नई दिल्ली के क्षेत्राधिकार के अधीन होगा और पक्षकार ऐसे विवादों को माध्यस्थम् द्वारा ऐसे एकल मध्यस्थ के पास भेजेंगे, जो इस विषय का विशेषज्ञ होगा और जिसे उपाध्यक्ष दि.वि.प्रा. द्वारा नियुक्त किया जाएगा। माध्यस्थम् करार माध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 के अनुसार किया जाएगा।

11. यदि ठेकेदार इन दस्तावेजों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की प्रिटिंग मशीनरी और संबद्ध यंत्र के निपटान हेतु भुगतान में कोई चूक करता है अथवा यहाँ उल्लिखित मशीनरी और संबंध यंत्रों की डिलीवरी लेने और उन्हें हटाने में कोई गलती करता है, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास सदन, आई.एन.ए., नई दिल्ली-110023, ऐसी किसी स्थिति उत्पन्न होने पर ठेकेदार को नोटिस देने के पश्चात मशीनरी एवं सम्बद्ध यंत्रों को सार्वजनिक नीलामी द्वारा विक्रय करने अथवा नई संविदा शुरू करने के लिए स्वतन्त्र होगा। दिल्ली विकास प्राधिकरण ऐसी किसी चूक को संविदा के उल्लंघन के रूप में स्वीकार करेगा एवं इसके साथ ही ठेकेदार के साथ लिखित रूप में सूचना देते हुए संविदा को निरस्त करेगा और______________(सुरक्षा राशि)______________(रुपये) ____________केवल) जब्त कर लेगा और इसके अतिरिक्त ऐसे संविदा उल्लंघन के कारण हुई हानि की वसूली करेगा। यदि ठेकेदार इस करार की कोई भी मद तथा शर्त का उल्लंघन करता है, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास सदन, आई.एन.ए., नई दिल्ली-110023 ठेकेदार को लिखित नोटिस देते हुए करार को निरस्त करने और इस उल्लंघन द्वारा सरकार को हुए किसी भी नुकसान के लिए वसूली हेतु स्वतंत्र होगा। इसके अतिरिक्त, ठेकेदार खण्ड 9(छ) के अनुपालन में गोदाम शुल्क के भुगतान हेतु जिम्मेदार होगा।

12. तथापि, आयुक्त एवं सचिव (सी.सी.एस.) दि.वि.प्रा./प्रभारी अधिकारी के पास चयनित सेवा प्रदाता कम्पनी/फर्म/एजेंसी को एक सप्ताह का नोटिस देकर किसी भी समय बिना कोई कारण बताए संविदा को समाप्त करने का अधिकार है।

13. इस संविदा के अंतर्गत ठेकेदार को शेष और देय धनराशि (वापिस करने योग्य सुरक्षा जमा राशि सहित) को सरकार द्वारा विनियोजित किया जा सकता है तथा इस संविदा से अथवा इसके अंतर्गत अथवा ठेकेदार द्वारा सरकार के साथ की गई किसी अन्य संविदा से उत्पन्न धनराशि के भुगतान हेतु सरकार के किसी भी दावे के लिए इसे समायोजित किया जा सकता है।

14. **{kfrifr** :- किसी भी सामान को हटाने के संबंध में ठेकेदार, उसके एजेंटों अथवा सेवकों के किसी भी कार्य अथवा चूक द्वारा दि.वि.प्रा. की किसी भी सम्पति या किसी अन्य व्यक्ति को पहुँचाई गई क्षति को ठेकेदार द्वारा ठीक करवाया जाएगा बशर्ते दि.वि.प्रा. के पास इस प्रकार की क्षति को ठीक करवाने का विकल्प होगा और इस पर हुए खर्च को ठेकेदार से वसूल करेगा।

15. यदि दि.वि.प्रा. को किसी भी समय यह लगे कि इस समझौते के निष्पादन के संबंध में ठेकेदार द्वारा अथवा उसकी ओर से उसके भागीदार, एजेंट अथवा सेवक अथवा किसी अन्य द्वारा कोई भी (चाहे ठेकेदार की जानकारी में हो अथवा न हो) सरकार के किसी भी अधिकारी, प्रतिनिधि सेवक या एजेंट को रिश्वत, कमीशन अथवा उपहार अथवा अग्रिम दिया गया है, देने का वादा किया गया है अथवा पेशकश की गई है, तो दि.वि.प्रा. विकास सदन, आई.एन.ए., नई दिल्ली-110023 ठेकेदार के विरूद्ध आपराधिक कार्यवाही के साथ-साथ उचित या आवश्यक कार्रवाई करेगा। दिल्ली विकास प्राधिकरण इस उल्लंघन को एक चूक के रूप में मानेगा और इस समझौते को रद्द कर सकता है और इस रददकरण के परिणामस्वरूप हुए किसी भी नुकसान की वसूली भी कर सकता है।

16. दि.वि.प्रा., विकास सदन, आई.एन.ए., नई दिल्ली-110023 निम्नलिखित में से किसी भी कारण से किसी भी समय एक लिखित नोटिस द्वारा ठेकेदार को कोई भी मुआवज़ा दिए बिना संविदा को समाप्त कर सकता है:

    i. यदि ठेकेदार, व्यक्ति अथवा फर्म के तौर पर, अथवा ठेकेदार की फर्म में कोई भी साझेदार व्यक्ति किसी भी समय दिवालिया घोषित किया जाता है अथवा उसे उसकी सम्पदा के प्रशासन द्वारा उसके विरूद्ध जारी प्राप्ति आदेश प्राप्त हो अथवा वर्तमान में किसी भी दिवालिया अधिनियम के अंतर्गत दिवालियापन अथवा कम्पोजिशन हेतु कार्यवाही चल रही हो अथवा इन कारणों से वह संपत्ति हस्तांतरित अथवा सौंप रहा हो अथवा अपने लेनदारों के साथ कोई भी व्यवस्था अथवा समझौता करता हो अथवा यदि फर्म के साझेदारी अधिनियम के अंतर्गत बंद होने की स्थिति में होने पर भुगतान संरक्षक को निलंबित करता हो; अथवा

ii. यदि ठेकेदार एक कंपनी होने के तौर पर एक प्रस्ताव पारित करेगी अथवा अदालत इसके मामलों के परिसमापन हेतु आदेश देगी अथवा ऋणपत्र धारकों की ओर से एक प्राप्तकर्ता (रिसीवर) नियुक्त किया जाएगा अथवा ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होगीं, जो ऋणपत्र धारकों की अदालत को एक प्राप्तकर्ता नियुक्त करने का हकदार बनाती हों।

iii. यदि ठेकेदार संविदा का उल्लंघन करता है, जिसका यहाँ उल्लेख नहीं है, तो यह रद्दकरण किसी कार्यवाही के किसी अधिकार अथवा उपाय की पूर्व धारणा के नहीं होगा, जो सरकार के समक्ष घटित हो और यह भी कि ठेकेदार को सरकार द्वारा लगाए गए किसी भी अतिरिक्त व्यय का भुगतान करना होगा।

17. इसमें इसके पूर्व उल्लिखित सभी विषयों को छोड़कर सरकार की ओर से दिए जाने वाले सभी नोटिस और सरकार की ओर से की जाने वाली अन्य सभी कार्रवाई को सरकार की ओर से दिल्ली दि.वि.प्रा., विकास सदन, आई.एन.ए., नई दिल्ली-110023 या किसी भी वर्तमान अधिकारी, जिसे उक्त प्रभारी अधिकारी के कार्य, दायित्व और शक्तियाँ सौपीं गई हों, द्वारा दिया अथवा लिया जा सकता हैं।

18. संविदा की शर्तों के अंतर्गत ठेकेदार को दिए जाने वाले किसी भी नोटिस को विधिवत सेवा माना जाएगा और इसे ठेकेदार को उसके अंतिम ज्ञात पते पर पंजीकृत मेल द्वारा नोटिस भेजा जाएगा। इसी प्रकार सरकार को भेजे जाने वाले किसी भी नोटिस को विधिवत सेवा माना जाएगा, यदि उसे दि.वि.प्रा., विकास सदन, आई.एन.ए., नई दिल्ली-110023 या नए पते पर जहां दि.वि.प्रा., का कार्यालय, इस तरह के नोटिस देने के समय स्थित हो, को पंजीकृत डाक द्वारा भेजा या पोस्ट किया गया हो।

ठेकेदार/प्रथम पक्षकार
प्रेस
नाम और हस्ताक्षर मुहर सहित

उपाध्यक्ष के लिए और उन की ओर से
प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक मुद्रण
दिल्ली विकास प्राधिकरण
नाम और हस्ताक्षर मुहर सहित

साक्षी:

साक्षी:

(1) पूरा नाम ____________________

पता_____________________________

____

पहचान संबंधी प्रमाण ______________

(2) पूरा नाम ___________________

पता ___________________________

पहचान संबंधी प्रमाण ______________

(1) पूरा नाम ________________________

पता_____________________________

____

पहचान संबंधी प्रमाण________________

(2) पूरा नाम _______________________

पता____________________________

पहचान संबंधी प्रमाण ______________